न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 09/2016
GCMS No-2016/00275

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री आनंद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन अजमेर		श्री भवंरलाल राठौड पुत्र पुनाराम राठौड,(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स शारदा टैडर्स पोस्ट आफिस रोड मैन बाजार, सुमेरपुर, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :- 17.11.21

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी अनुपस्थित होने से अप्रार्थी अधिवक्ता एक तरफा बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आनन्द कुमार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 03.11.2015 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स शारदा टैडर्स, पोस्ट आफिस रोड मैन बाजार सुमेरपुर पाली पर गये। जहां पर अप्रार्थी स्वयं उपस्थित मिला। मौके पर मूंगफली का तेल 500–500 एम.एल. तेल की बोतलें रखी हुई थी, जो आमजन को बिक्री हेतु रखी गई थी। जिसमें मिलावट का शक हुआ। जिनमें से चार बोतलें मूंगफली का तेल की नमूना वास्ते जांच क्रय किया, उक्त क्रयसुदा मूंगफली का तेल 500–500 एम.एल. की चार बोतलों को चार भागों में लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–398 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त नमुना पैकेट खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मूंगफली के तेल को Sub-Standard and Misbranded का होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ मूंगफली का तेल का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब एव वक्त बहस कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से मूंगफली के तेल ब्राण्ड भवानी दुर्गा का नमूना(कोड आर–398) लिया लेकिन जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जांच हेतु लिया गया मुंगफली का तेल नही भिजवाया जाकर सरसों का तेल भिजवाया गया है जिसके सन्दर्भ में प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में मिथ्याछाप एवं अमानक स्तर का वताया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से सरसों के तेल का सेम्पल न लेकर मुंगफली के तेल का सेम्पल लिया था जो प्रयोगशाला में भिजवाया ही नही गया है। जो प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत पत्रावली से भी साफ स्पष्ट होता है। इसलिए अप्रार्थी के खिलाफ प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथित सभी बिन्दु असत्य एवं मिथ्या है। अप्राथी द्वारा किसी भी प्रकार के कानून

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए अप्रार्थी के खिलाफ प्रकरण में चल रही कार्यवाही ड्रॉप कराने के साथ प्रकरण को खारिज कराने का श्रम करावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.11.2015 को अप्रार्थी की फर्म से खाद्य पदार्थ मूंगफली का तेल ब्रांड भवानी क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–398 अंकित कर सीलबन्द किया गया, जिस पर अप्रार्थी भवंरलाल राठौड़ खाद्व सुरक्षा अधिकारी आन्न्द चौधरी एवं गवाह श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर है। जबकि नमूना खरीद बिल/कैश मेमो एवं जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ सरसों का तेल अंकित किया गया है खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.11.2015 को अप्रार्थी श्री भंवरलाल को प्रेषित नोटिस खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत धारा 2.4.1(3) एवं नमुना खरीद बिल/कैश मैमो के अनुसार नमुना कोड आर–398 लिया गया सेम्पल सरसों का तेल(ब्राण्ड भवानी दुर्गा) 500 ग्राम के 4 पैकेट कुल 2 लीटर सरसों का तेल वास्ते सेम्पल क्रय किया गया था। मौका फर्द एंव नमूना खरीद बिल केश मेमो में विरोधाभास पैदा हो रहा है, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही पर एक प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन ने यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी आनन्द कुमार द्वारा लापरवाहीपूर्वक कार्यवाही की गई है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं चूंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए प्रकरण में जांच हेतु क्रय की गई खाद्य सामग्री से भिन्न सामग्री अंकित करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उनकी कार्य के प्रति लापरवाही को रेखांकित करता है। इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आयुक्त(खाद्य सुरक्षा)एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पाली के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम (अपील वर्गीकरण एवं नियंत्रण नियम 1957) के प्रावधानों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश करावें एवं आप द्वारा की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरणों की अभियोजन स्वीकृति से पूर्व विधिक प्रावधानों के तहत समुचित परीक्षण के पश्चात ही अभियोजन स्वीकृति जारी करे। इस निर्णय की प्रतिलिपि उभयपक्ष एव संबंधित समस्त को भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 17.11.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली